

X

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONAL BENCH, KOLKATA, WEST BENGAL
FINANCE CENTRE, 3RD FLOOR, NEW TOWN**

**(Under Section 18 (1) read with Sections 14 and 15 of the
National Green Tribunal Act, 2010)**

Original Application No. 05/2026/EZ

Gaurav Singh

.....**APPLICANT**

VERSUS

Hindalco Industries Ltd.

.....**RESPONDENTS**

REJOINDER OF COUNTER AFFIDAVIT FILED BY HINDALCO

INDEX

Sl. No.	PARTICULARS	PAGES
1.	Rejoinder to the Counter Affidavit	1 - 23
2.	Verification	24
3.	AFFIDAVIT	25-26
4.	ANNEXURE-1 (SERIES): Photocopy of the Letters granting mining lease to Usha Martin Limited and Hindalco.	27-44
5.	ANNEXURE-2 (SERIES) Web copy of orders of High Court in batch of writ petitions taking cognizance of the fact that Respondent no. 1 have encroached land of raiyats	45-52



✗

✗

6.	ANNEXURE-3 Recent photographic evidence of the mines	53-58
7.	ANNEXURE-4 Photocopy of news article report showing dangerous and life-threatening state of open pits and steep high walls.	59-63



A long, thin, vertical green line drawn across the page, likely a signature or a mark.

X

✓ X

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONAL BENCH, KOLKATA, WEST BENGAL
FINANCE CENTRE, 3RD FLOOR, NEW TOWN**

**(Under Section 18 (1) read with Sections 14 and 15 of the
National Green Tribunal Act, 2010)**

Original Application No. 05/2026/EZ

Gaurav Singh

.....**APPLICANT**

VERSUS

Hindalco Industries Ltd.

.....**RESPONDENTS**

REJOINDER OF COUNTER AFFIDAVIT FILED BY HINDALCO

I, **Gaurav Singh**, Son of Late Sripati Singh, Resident of Village-

Belwatika, P.O. & P.S.-Daltonganj, District-Palamau, do hereby

solemnly affirm and state as follows: -



1. That I am applicant in the present original application and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2. That I have read the contents of the counter affidavit filed on behalf of the respondent no. 1 Hindalco and understood the same fully.

X

X

3. That the counter affidavit filed by Respondent no.1 is incorrect, misleading and liable to be rejected except those specifically admitted herein.

PARA-WISE REPLY

4. That the contents of paragraphs 1 and 2 of the Reply Affidavit are formal in nature and, therefore, require no specific reply. However, the allegations made therein to the effect that the Applicant has presented a false narrative regarding the environmental compliances undertaken by Respondent No.1 at the Kathautia Coal Mine situated in District Palamau, Jharkhand are specifically denied. It is submitted that the Applicant has approached this Hon'ble Tribunal bona fide and in public interest and has placed all material facts before this Hon'ble Tribunal. It is further submitted that no material fact has been suppressed by the Applicant and the allegations to the contrary are false, baseless and denied.



X

X

5. That the contents of paragraph 3 are denied. The Applicant has approached this Hon'ble Tribunal bona fide and in the public interest for the enforcement of environmental obligations and the protection of the ecology. No material facts have been suppressed.

6. That it is humbly submitted that the contents of paragraphs 4 to 8 are matters of record to the extent they describe the original allotment, subsequent auction and transfer of Environmental Clearance. However, the same do not absolve Respondent No.1 from the environmental obligations attached to the Environmental Clearance transferred in its favour, it is relevant to mention here that initially, mining plan was approved in favour of prior allottee for an area 938.27 Hectare (0.80 MTPA), but mining lease was executed only for an area of 687.93 Hectares to Usha Martin Limited as well as Hindalco Industries Limited, no revise mining plan or EC amendment was obtained by either of the companies, despite reduction in lease area, after



✗

✓✗

cancellation of coal block and reallocation to Hindalco, the EC was transferred for 938.27 Hectare while lease remained only for an area of 687.93 Hectare even before resuming mining operation, Hindalco has neither got corrected the EC nor mining plan, the mining plan has never been modified before commencement of mining activities, thereby causing environmental degradation beyond the lease area.

Photocopy of the Letters granting mining lease to Usha Martin Limited and Hindalco are being annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1 (SERIES)** to this rejoinder.



7. That the respondent no 1, is trying to shift the onus to the previous allottee, namely M/s Usha Martin Ltd. However, the present Original Application is filed to address the concerns of non-compliance of Environment Clearance Conditions (**EC**)

× 22

Conditions) at the time Respondent no. 1 was operating on the mine. The plea of Respondent No.1 that liabilities prior to 01.04.2015 belong exclusively to the previous allottee does not absolve Respondent No.1 of the obligation to comply with the environmental obligations attached to the Environmental Clearance transferred in its favour. Respondent No.1 admittedly operated the mine from 2017 till November, 2023 and cannot escape the responsibility of restoring the mined area merely by attributing all deficiencies to the previous allottee.

8. That it is humbly submitted that the contents of paragraphs 9 and 10 are matters of record. It is submitted that the deviations noted in the Deviation Report themselves demonstrate that substantial backfilling and reclamation remained incomplete.

Further, from the deviation report, it is apparent that the same was with regard to 938.27 Hectare, whereas, the fact remains that Mining lease was executed only for an area of 687.93



✗

✗

hectare and as such the said deviation report itself is faulty and as such the respondent cannot escape the liability by placing reliance upon the same.

9. That the contents of paragraph 11 are denied to the extent they suggest that Respondent No.1 bears no responsibility for restoration. The environmental obligations attached to the mine and Environmental Clearance are continuing obligations and cannot be avoided merely because certain deficiencies originated during the tenure of the previous allottee. Merely labelling the environmental liability as legacy issues of the prior allottee cannot allow respondent no.1 to violate EC conditions signed by them.



10. That the contents of paragraph 12 are denied. The reliance placed upon Section 14(3) of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 is misconceived. The said provision protects the successful bidder only from liabilities incurred by the previous allottee prior to vesting. It does not exempt

✓

✕

✕

Respondent No.1 from complying with the Environmental Clearance conditions, reclamation measures, backfilling requirements and mine closure obligations arising during its own tenure. The EC was transferred to Hindalco on 01.04.2015, and once the transfer is done, Hindalco is bound by all the conditions of EC, including the specific condition no. (iv). Section 14(3) does not empower Respondent No. 1 to continue environmental violations and shift blame to the prior allottee. Respondent no.1 itself conducted its operation from 2017-2023, admittedly stating that pits remained unfilled or OB dump remained unclaimed during its period of operation; these failures are its own defaults and not liabilities inherited from the prior allottee, namely M/s Usha Martin.



11. That the contents of paragraph 13 are denied as being false, misleading and contrary to the material available on record. It is specifically denied that Respondent No. 1 has no liability whatsoever. Respondent No. 1 admittedly carried out mining

~~10~~~~12~~

operations for several years and, therefore, remains responsible for ensuring compliance with all statutory environmental obligations, including scientific mine closure, reclamation, restoration of the mined-out area and mitigation of environmental damage, before surrender or transfer of the mining lease.

12. That it is further submitted that several affected families of Village Kathautia were constrained to approach the Hon'ble High Court of Jharkhand in the year 2019 alleging that Respondent No. 1 had entered upon their lands without following the applicable tenancy laws and mining regulations and without paying lawful compensation, or by paying only partial compensation. The very fact that a large number of landowners were compelled to invoke the writ jurisdiction of the Hon'ble High Court itself demonstrates the serious grievances arising from the mining operations undertaken by Respondent No. 1. The pleadings in the said writ petition



X

X

clearly indicate that the mining activities over the agricultural lands referred to therein were carried out solely by Respondent No. 1 and not by any previous allottee. It is these mining operations that resulted in the creation of steep high walls, deep excavated pits, and other hazardous conditions. The mining has not only rendered the agricultural land unfit for its intended use but has also created significant environmental hazards, posing a continuing threat to the life, safety, and livelihood of the local population as well as causing serious ecological degradation.



Web copy of several orders dated 03.03.2020 and 05.03.2020 of Hon'ble Jharkhand High Court in batch of writ petitions taking cognizance of the fact that Respondent no. 1 have encroached land of raiyats are

~~X~~~~X~~

being annexed herewith and
marked as **ANNEXURE-2 (SERIES)**
to this rejoinder.

13. The contents of paragraph 14 are denied for want of strict proof. Mere assertions regarding compliance and filing of reports do not establish actual compliance. The existence or otherwise of such compliance requires independent verification by an expert committee.

Recent photographic evidence of
the mines is being annexed
herewith and marked as
ANNEXURE-3 to this rejoinder.



14. That the contents of paragraph 15 are denied. The quantity of coal extracted by Respondent No.1 is irrelevant to the issue involved in the present proceedings. The obligation to restore
and reclaim the mined area does not depend upon the quantity
of coal extracted.

~~X~~M
~~X~~

15. That the contents of paragraph 16 are denied for want of proof.

Reports prepared at the instance of Respondent No.1 cannot substitute an independent field inspection by statutory authorities.

16. That the contents of paragraph 17 are denied. The photographs and documents annexed with the Original Application disclose continuing environmental concerns. Whether the reclamation measures are adequate or not can only be ascertained through an independent joint inspection.

17. That the contents of paragraph 18 are matters requiring strict proof. Even according to Respondent No.1, substantial areas are still under restoration and vegetation activities. Such statements themselves show that complete environmental restoration is yet to be achieved.

18. That the contents of paragraphs 19 to 21 are irrelevant to the controversy involved in the present proceedings. The alleged Jungle Jhari dispute and pendency of proceedings before the



✓

X

Hon'ble Jharkhand High Court do not absolve Respondent No.1 from complying with environmental obligations and mine closure requirements.

19. That the contents made in paragraph 22 are matters of record.
20. That the contents of paragraph 23 of the Counter Affidavit are denied to the extent that the same seek to portray the preparation and submission of a Temporary Mine Closure Plan as sufficient compliance with the statutory and environmental obligations of Respondent No.1. It is submitted that mere preparation or submission of a Temporary Mine Closure Plan does not amount to actual implementation of mine closure measures or restoration of the mined-out area. The fact that Respondent No.1 is in the process of preparing and implementing the said plan itself establishes that mine closure activities remain incomplete and that the mine has not attained a stage of environmental closure. Respondent No.1 continues to be under a statutory obligation to undertake complete



f

✓

~~X~~ ✓ ~~X~~

reclamation, rehabilitation, backfilling and restoration in accordance with the Environmental Clearance, approved Mine plan of 687.93 hectares and Temporary Closure Plan and applicable laws before seeking surrender of the mine.

- 21.** That the contents of paragraph 24 are denied. The allegations made in the Original Application are based on documents, RTI information and photographs and have been made in public interest.
- 22.** That the contents of paragraph 25 are denied. The Applicant never intended to suggest that W.P.(C) No. 6046 of 2017 was filed concerning illegal mining. The Applicant only referred to the existence of the dispute regarding the Jungle Jhari land. The same is clarified. The remaining allegations and denials contained therein are specifically denied.
- 23.** That the contents of paragraph 26 call for no reply and are denied insofar as they are inconsistent with the Original Application and matters stated hereinabove in the rejoinder.



~~X~~

- ~~X~~
24. That the contents of paragraph 27 are denied. The statements made by Respondent No.1 are self-serving and require verification by an independent committee. Mere filing of compliance reports does not establish actual compliance.
25. That the contents of paragraph 28 are denied. The issue raised in the Original Application concerns ongoing environmental degradation and incomplete restoration, both of which require verification through field inspection.
26. That the contents of paragraph 29 are denied. Respondent No.1 cannot claim complete compliance while simultaneously admitting that backfilling and restoration activities are still continuing.
27. That the contents of paragraph 30 are denied for want of strict proof. Adequacy of fencing and safety measures can only be established through inspection by competent authorities.
28. That the contents of paragraph 31 are denied. Mere submission of compliance reports cannot absolve statutory authorities



X ~ 12 X

from independently ensuring compliance with environmental conditions.

29. That the contents of paragraph 32 are denied. The Polluter Pays Principle is fully applicable to cases involving continuing environmental degradation and incomplete restoration. The burden of restoring the disturbed environment lies upon the entity operating and seeking the surrender of the mine.

30. That the contents of paragraph 33 are denied. The Applicant has approached this Hon'ble Tribunal solely for protection of the environment and enforcement of statutory obligations and

is entitled to the reliefs prayed for.

31. That the contents of paragraph 34 do not require any reply as it is formal in nature.

32. That the contents of paragraph 35 are denied to the extent they are inconsistent with the Original Application and the matters stated hereinabove in this rejoinder. The Respondent No.1 is

✓





~~X~~

put to strict proof of each and every assertion made in the counter affidavit.

- 33.** That it is most respectfully submitted that the Applicant seeks to draw the attention of this Hon'ble Tribunal to the news report annexed herewith, which depict the dangerous and life-threatening condition of the abandoned mining pits resulting from the mining operations carried out by Respondent No. 1. The said report highlight the existence of deep, unprotected excavated pits and steep high walls, which pose a grave risk to human life, livestock, and the surrounding environment. These reports further corroborate the Applicant's case that Respondent No. 1 failed to undertake adequate mine closure, reclamation, and safety measures, thereby creating a continuing environmental hazard warranting the intervention of this Hon'ble Tribunal.

§
Photocopy of news article report
showing dangerous and life-



✓ 18
✗

✗

threatening state of open pits
and steep high walls is being
annexed herewith and marked
as **ANNEXURE-4** to this rejoinder.

34. That it is humbly submitted that the claims made by Respondent No. 1 regarding compliance with the EC conditions, mine closure obligation and restoration measures require independent verification and cannot be accepted merely on the basis of self-serving reports and selectively taken photographs. Therefore, it is necessary that the Hon'ble Tribunal may be pleased to constitute an independent Joint Committee comprising representatives of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jharkhand State Pollution Control Board, Directorate General of Mines Safety, Indian Bureau of Mines, Department of Mines and Geology and such other authorities as this Hon'ble Tribunal may deem fit,



~~X~~ ✓ ~~X~~

for conducting a detailed inspection and investigation with regard to the following:

(a) Whether the Environmental Clearance and Mining Plan were duly modified consequent upon the reduction of the lease area from 938.27 hectares to 687.93 hectares and whether mining operations carried out by Respondent No.1 were in conformity therewith;

(b) Whether overburden dumps exist outside the leasehold area of 687. 93 hectares and whether the same are in conformity with the Environmental Clearance conditions and approved Mining Plan;



(c) Whether the pits, highwalls and overburden dumps have been adequately stabilized and whether the height and slope thereof conform to the prescribed norms;

(d) Whether complete backfilling, reclamation and rehabilitation of the mined-out area have been undertaken in accordance with the Environmental Clearance

✓

~~X~~✓~~X~~

conditions, modified approved mining plan and applicable guidelines;

- (e) Whether the plantation activities claimed by Respondent No.1 have actually become self-sustaining and whether the ecological restoration measures are adequate;
- (f) Whether proper fencing, barricading, warning signages and other safety measures have been provided to safeguard human life, cattle and public property;
- (g) Whether any abandoned pits or unsafe highwalls continue to exist, thereby posing danger to the local inhabitants and surrounding areas;
- (h) Whether the Modified approved mining plan and the proposed surrender of the mine satisfy the statutory requirements and whether the mine is environmentally fit for closure and surrender;
- (i) Whether the acts and omissions of Respondent No.1 have resulted in environmental degradation warranting



~~2~~

✓ 22 ✓

assessment and recovery of environmental compensation in accordance with the Polluter Pays Principle;

- (j) Whether any violation of the Environmental Clearance conditions, Mine Closure Plan, provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and other applicable laws has been committed by Respondent No.1.

35. That this petition is being filed bonafide and in the interest of justice.

36. That the petitioner craves leave of this Hon'ble tribunal to file an additional/ supplementary counter affidavit, if required.

37. That I have gone through the contents of the instant counter affidavit and understood the same.

38. That the statements made in paragraphs 1-5, 7, 9-11, 13-18,

20-32, 34-35 are true to my knowledge and those made in

¶

paragraphs are true to my information derived from the



✓

~~2~~

✓ 20 ✗

relevant records of the case which I believe to be true and rests
are by way of humble submission before this Hon'ble Tribunal.



✓

~~24~~

~~25~~

VERIFICATION

I, **Gaurav Singh**, Son of Late Shripati Singh, aged about 34 years, resident of Belwatika, Memorial Hall Road, P.O. & P.S. Daltonganj, District Palamu, Jharkhand- 822101, do hereby verify that the contents of the accompanying Rejoinder are true and correct to my personal knowledge and based on information received from authentic record, which I believe to be true.

Nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Daltonganj on this 29th day of June 2026.



Identified by:

Ben
Advocate
Ben
29/6/26

Ben
Ben
29/6/26

Gaurav Singh
Deponent



12 20
X
X

AFFIDAVIT

I, **Gaurav Singh**, Son of Late Shripati Singh, aged about 34 years, resident of Belwatika, Memorial Hall Road, P.O. & P.S. Daltonganj, District Palamu, Jharkhand- 822101, do hereby solemnly affirm and state as follows: -

1. That I am the Applicant in the accompanying Rejoinder and being fully acquainted with the facts and circumstances of the case, I am competent to swear this affidavit.
2. That the content of the Rejoinder has been prepared under my instructions, and the same has been read over and explained to me in a language known to me. I state that the facts stated therein are true and correct to my personal knowledge, information, and belief.
3. That I do verify that contents of paragraphs 1-5, 7, 9-11, 13-18, 20-32, 34-35 are true to my knowledge and paragraphs 6, 8, 12, 19, 33 are true to my information derived from the relevant records of the case which I believe to be true.
4. That the present Rejoinder is being filed bona fide and in the interest of justice.

I further state that nothing material has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

Verified at Daltonganj on this 29th day of June, 2026.

Madan Mohan Singh
by
[Signature]
29/6/26

Gaurav Singh
Deponent
(Gaurav Singh)

Attested the Signature of
of on the basis of information
of Sri....., Advocate

MADAN MOHAN SINGH
Notary Public
Daltonganj, Palamu



Book No. 70 Serial No. 1562
Dated 29.06.2026

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक - ख0 नि0 पलामू - 15/05.523. /सम0 राँची

दिनांक 07-03-2007

प्रेषक,

हीरा लाल राम बिहारी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त,
पलामू ।

विषय - पलामू जिला अन्तर्गत पाटन थाना क्षेत्र के मौजा - कठौतिया एवं अन्य में रकबा 938.27 हे0 क्षेत्र में से 687.93 हे0 क्षेत्र पर कोयला के खनन पट्टा की स्वीकृति सर्वश्री उषा मार्टिन लि0 के पक्ष में होने के संबंध में ।

आदेश - सर्वश्री उषा मार्टिन लि0 को पलामू जिलान्तर्गत पाटन थाना क्षेत्र के मौजा - सखुई, पहले खुर्द, सीका, गड़ीखास, कजरी, बटसारा एवं कठौतिया के रकबा 938.27 हे0 क्षेत्र में से 687.93 हे0 क्षेत्र पर निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों पर कोयला के खनन पट्टा की स्वीकृति दी जाती है ।

- I. क्षेत्रफल - 687.93 हे0
- II. खनिज - कोयला
- III. अवधि - 30 वर्ष के लिए
- IV. स्वामित्व - भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार ।
- V. नियत लगान - झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर अनुसार नियत लगान की दरों में समय-समय पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के अनुसार फेर बदल अनुमान्य होगा ।
- VI. भूतल लगान (सरफेस रेंट) - सरकारी नियमानुसार प्रसंगाधीन भूखण्ड के विधि सम्मत मूल्य के वाणिज्य दर (अधिकतम 5 प्रतिशत) के आधार पर देय होगा, जिसे समय-समय पर नियमानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।



- VII. प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) - 10,000 (दस हजार) रू० ।
- VIII. पट्टेधारी को खनन कार्य की निगरानी के लिए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन अभियंता (माईनिंग इंजिनियर) अथवा भूतत्ववेत्ता (जियोलोजिस्ट) की नियुक्ति अनिवार्यतः करनी होगी ।
- IX. पट्टेधारी द्वारा वन क्षेत्र में खनन कार्य करते समय राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन अनिवार्यतः करना होगा ।
- X. अन्य शर्तें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के अनुसार होगी ।
- XI. पट्टेधारी उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा खनन कार्य के लिए निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का अर्जन नहीं करेंगे ।
- XII. जहाँ कृषि योग्य भूमि स्थायी रूप से अर्जित नहीं की गई है और खनन कार्य प्राइवेट एरेंजमेंट के द्वारा किया गया है, वहाँ खनन कार्य के सिलसिले में खुदे हुए गड्ढे आदि को उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के इच्छानुसार पट्टेधारी भर देंगे ।
- XIII. पट्टेधारी भूमि अर्जन से अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित कृषकों तथा उनके आश्रितों को उचित न्यूनतम पारिश्रमिक पर नियोजन के लिए उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रबंध करेंगे ।
- XIV. अगर रैयतों को आपत्ति के कारण पट्टेधारी क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे तो वे लगान की माफी के लिए सरकार से न तो दावा करेंगे और न उसके लिए किसी तरह का उनका कोई दावा मान्य होगा ।
- XV. यदि लागू काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पूर्वानुमति से पट्टेधारी को रैयत द्वारा अपनी रैयती जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा संबंधित भूमि पर रैयती अधिकार पट्टेधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, उस स्थिति में रैयत को कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।

संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रैयत को पट्टेधारी द्वारा देय क्रय की राशि पर्याप्त है । उपायुक्त भूमि के विक्रय की दर का निर्धारण भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत करेंगे ।

(Signature)

- XVI. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-23 में निहित मार्ग दर्शन का अनुसरण कर प्रति एकड़ उत्पन्न होने वाली वार्षिक फसल की मात्रा का आंकलन करते हुए तथा उसके आधार पर रैयतों को देय वार्षिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण संशोधित खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 72 के अनुसार उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- XVII. पट्टेधारी खनिकर्म से संबंधित रैयती क्षेत्र के लिए उपर्युक्त उप कंडिका XVI में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गयी वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित रैयतों को कर देंगे तथा उसकी पूर्ण सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी को देने तथा सत्यापन के पश्चात् उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ही उक्त विनिर्दिष्ट रैयती क्षेत्र में खनिकर्म आरंभ करेंगे।
- XVIII. पट्टेधारी संबंधित रैयत को प्रत्येक पंचांग वर्ष के लिए देय क्षतिपूर्ति राशि को पिछले वर्ष 15 दिसंबर तक भुगतान कर देंगे तथा उपायुक्त को इसकी तुरंत सूचना देंगे।
- XIX. पट्टा क्षेत्र में सम्मिलित किन्तु खनिकर्म से अधिक रैयती जमीन पर ही कालान्तर में खनिकर्म आरंभ करने का निश्चय पट्टेधारी करते हैं तब वे उपर्युक्त शर्त/प्रक्रिया का पूर्ण रूपेण अनुसरण कर ही खनिकर्म आरंभ करेंगे।
- XX. यदि पट्टेधारी उपर्युक्त शर्तों/निदेशों का उल्लंघन करेंगे तो उनका पट्टा परिसमाप्त कर दिया जाएगा।
- XXI. निर्धारित एवं देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पट्टेधारी राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में संबंधित रैयतों के नाम से खोले गये उनके खाते में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तथा उसकी सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी को लिखित रूप से देंगे।
- XXII. उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जिन्हें संशोधित खनिज समनुदान नियमावली के नियम 73 के अधीन समक्ष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, खनिज पट्टा की समाप्ति/परिसमाप्ति के पश्चात् खनिजकर्म से भूमि की हुई क्षति और उस पर देय मुआवजा की राशि का अगले एक वर्ष के अन्दर निर्धारण कर देंगे। ताकि उक्त मुआवजे की राशि पट्टेधारी संबंधित रैयत को तथा सरकार की जमीन की स्थिति में सरकार को भुगतान कर सके।

XXIII.

अधिनियम या इस नियम के अतिरिक्त किसी अन्य नियम में उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से किसी भी लगान, स्वामित्व या शुल्क (खनिज समनुदान नियमावली) के नियम 54 के उप नियम के अन्तर्गत देय शुल्क को छोड़कर या अधिनियम या इन नियमों का या किसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा की शर्त के अन्तर्गत अन्य रकम जो सरकार को देय है, पर सरकार द्वारा भुगतान के लिए निश्चित की गयी तिथि के 60 दिन बीत जाने के दिन साधारण सूद चार्ज कर सकती है जबतक की बाकी स्वामित्व, लगान शुल्क या अन्य रकम का भुगतान नहीं हो जाता है।

XXIV.

फार्म "के" में पार्ट-6 खण्ड -3 तत्संबंधी बकाये सूद के साथ शब्दों के स्थान पर 24 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से तत्संबंधी सूद के साथ शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

XXV.

पट्टेधारी को न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।

XXVI.

~~पट्टेधारी को खनिज अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।~~

XXVII.

पट्टेधारी को खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

XXVIII.

फार्म "के" में पार्ट-9 के प्रावधान-8 के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ दिये जायेंगे।

यह पट्टा झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के मुख्यालय डालटेनगंज में भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है और पट्टे के अधीन आनेवाले पट्टे की शर्तों, पट्टे के अधीन वसूली और पट्टेदार व पट्टाकर्ता द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन आनेवाले क्षेत्र के पट्टों की शर्तों और पट्टेदार व पट्टेकर्ता के बावत सभी विषय के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद अपील पलामू के सिविल न्यायालय में अथवा याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर की जाएगी। उपर नामित न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील दायर नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

XXIX.

यदि पट्टेधारी खनन कार्य हेतु वृक्ष काटेंगे या जमीन पर गड्ढे आदि बनायेंगे तो उन्हें पूरे क्षेत्र की भरपाई करनी होगी और पूरे क्षेत्र पर वृक्ष लगाना होगा।

XXX.

आदिवासी रैयतों के हितों तथा रैयति जमीन से संबंधित मुआवजे की राशि का भुगतान हेतु संबंधित रैयतों को स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक या किसी बैंक की शाखा में अपने नाम से खाता खोलना होगा, जिसकी सूचना पट्टेधारी को देनी होगी तथा रैयती जमीन के मुआवजे की राशि नियत समय पर संबंधित रैयतों के खाते में जमाकर पट्टेधारी द्वारा इसकी सूचना उपायुक्त को देनी होगी।

XXXI.

सार्वजनिक स्थल की सुरक्षा की जवाबदेही पट्टेधारी की होगी।

XXXII.

पट्टेधारी को रैयती क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित संबंधित रैयतों का सहमति पत्र उपायुक्त के समक्ष दाखिल करना होगा और उपायुक्त के द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर कि संबंधित रैयतों को खनन कार्य किये जाने वाले क्षेत्र के लिए उचित मुआवजा की राशि का भुगतान हो गया है, पट्टेधारी खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

XXXIII.

पट्टेधारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। खनन कार्य के सबंध में आवेदक तथा रैयतों के बीच कोई भी समव्यवहार लागू काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। यदि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पुर्वानुमति से पट्टेधारी को रैयत द्वारा अपनी जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा संबंधित भूमि का रैयती अधिकार पट्टेधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, उस स्थिति में रैयतों को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो।

XXXIV.

पट्टेधारी द्वारा माईन कलोजर प्लान का अनुपालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित करना होगा।

XXXV.

पट्टेधारी को स्वीकृत खनिज के अतिरिक्त पट्टा क्षेत्र में अगर कोई दूसरा खनिज प्राप्त होता है तो 60 दिनों के अन्दर ऐसे नये खनिज के संबंध में राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा।

ऐसे नये खनिज, जो पट्टे में वर्णित नहीं है, प्राप्त होने पर पट्टेधारी को ऐसे

नए खनिज पर न तो अधिकार होगा और न ही वे तब तक ऐसे नये खनिज का उपयोग/बिक्री कर सकेंगे जबतक इस पट्टे में नये खनिज को सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है अथवा अलग से पट्टा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

XXXVI. पट्टेधारी द्वारा लोक निर्माण से जुड़े स्थलों यथा रेलवे लाईन, ट्राम वे आदि से कम से कम 50 (पचास) मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य या कोई कार्रवाई जिससे उन स्थलों की क्षति की संभावना हो, नहीं किया जाएगा।

XXXVII. पट्टेधारी द्वारा अपने खर्च से पट्टा क्षेत्र का पक्का एवं मजबूत सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

XXXVIII. पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थलों यथा धार्मिक स्थल, श्मशान, कब्रगाह आदि में खनन कार्य नहीं किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र में भवन निर्माण या पक्का संरचना खड़ी नहीं की जायेगी।

XXXIX. पट्टेधारी द्वारा पिट हेड के नजदीक वे ब्रीज रखना आवश्यक होगा जिसकी जाँच सरकार द्वारा नामित / अधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

X. पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर स्वीकृत पट्टे को परिसमाप्त कर दिया जाएगा।

XLI. खनन पट्टा की परिसमाप्ति के छः माह के अन्दर पट्टा क्षेत्र में रक्षित सामग्री यंत्र आदि नहीं हटाने पर उसे सरकार द्वारा जप्त कर लिया जायेगा।

XLII. पट्टेधारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम एवं ग्यावरण संबंधी अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1. आवेदित क्षेत्र 938 हे0 भूमि में से कुल रकवा 704.71 एकड़ सरकारी भूमि है एवं 1613.76 एकड़ रैयती जमीन है।

2. सपायुक्त पलामू के प्रतिवेनानुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है।

A. आवेदित क्षेत्र में नदी/नाला/रास्ता/जोहार स्थान जैसे सार्वजनिक स्थल अवस्थित हैं।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम 1957 एवं खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थल को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थल को सुरक्षित रखने हेतु सेफ्टी पीलर/बेरियर छोड़कर ही कोयला खनिज का उत्खनन आवेदक कंपनी द्वारा किया जाएगा।

5 कोयला मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।

- i. Under no Circumstances shall the coal mined from the captive block shall be sold, delivered, transferred or disposed off in any manner than any one otherwise except with the prior approval of the Central Government in the Department of Coal, in writing.
- ii. The Coal mining will be done in accordance with the provisions of the Mines & Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and mineral concession Rules, 1960 and other Acts, Rules and Regulations governing Coal Mining.

यह पट्टा झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के मुख्यालय में और भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है और पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र पट्टा के शर्तों पट्टा के अधीन वसूली योग्य बकाये और पट्टाधारी तथा पट्टाकर्ता के संबंध में बाबत सभी विषयों के संबंध में किसी विवाद की दशा में अपील डाल्टेनगंज (पलामू) सिविल न्यायालय में तथा रिट याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में फाईल किये जायेंगे और यह स्पष्ट रूप से करार किया जाता है कि कोई भी पक्षकार उपर नामित न्यायालयों से भिन्न किसी अन्य स्थान पर वाद या अपील फाईल नहीं करेंगे।

6 कोयला मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 47011/1(6)/2002-CPAM/CA दिनांक 29.09.2003 (परिशिष्ट-1) एवं पत्रांक 47011/1(6)/2002-CPAM/CA दिनांक 13.01.2006 (परिशिष्ट-2) एवं दिनांक 21.07.2004 तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11015/61/2006-IA-II(M) दिनांक 19.06.2006 (परिशिष्ट-3) में लगाए गए शर्तों का अनुपालन पट्टेधारी द्वारा अक्षरशः करना अनिवार्य होगा।

- i. The coal mined from this block shall exclusively be used by the company to meet the requirement of 0.8 mtpa of coal by the expansion of the existing DRI sponge iron plant.
- ii. The coal mining development project should come up within 30 months from the date of allocation of the captive block and full capacity production should start within 14 months from starting of mining operations as per the bar chart submitted by the company.
- iii. The coal mining will be done in accordance with the provisions of mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 and

Mineral Concession Rules, 1960 and subject to the provisions of other relevant statutes.

iv. Allocation of coal block maybe cancelled in case of unsatisfactory progress of implementation of their DRI plant project or coal mining project or both.

(B) The allocation of the captive blocks will also be subject to the following conditions :

(i) The end use of which coal mined from the captive block should be utilized, may be clearly specified in the mining lease and all the conditions imposed by the Central Government mentioned in this letter conveying offer by the Screening Committee of captive blocks to M/s Usha Martin Ltd. should be clearly incorporated in the mining lease deed to be executed between the concerned State Government and M/s Usha Martin Ltd.

(ii) All the conditions imposed by the Central Government while conveying the previous approval to the State Government under section 5(1) of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 for grant of mining lease in favour of captive mining party should clearly form part of the lease deed to be executed between the concerned State Government and the Party.

(iii) In case the captive block has been offered for washing cum end use, the deed must clearly specify that the beneficiated coal from the washary will exclusively be used for the end use as approved by the Central Government and not for commerce or otherwise tailings. middlings or rejects, as the case may be, shall be used for captive consumption only by the applicant as approved by the Central Government.

(iv) The allocatee would furnish to this Ministry detailed plan for disposal of unusable containing carbon materials obtained during the process of mining or any process thereafter including washing etc. so as to avoid any need for disposal of the same through sale etc. at a later stage, within 30 days of receipt of this letter or submission of mining plan whichever is earlier.

(v) No coal shall be sold, delivered, transferred or disposed of except for the stated captive mining purpose except with the previous approval of the Central Government in writing.



- (vi) There should be complete synchronization between the captive coal mining operations and the development of end-use plant so that a situation arises where the company is left with coal extracted from the captive block when the end-use plant is yet to be operational.
- (vii) Approval of mining plan shall be considered only after financial closure for the end use project is achieved.
- (viii) Existing coal linkage from CIL/SCCL, if any, would not be disturbed in any way with the coal mined from the allocated block.
- (ix) Further detailed exploration in the block, if required shall be carried out by CMPDIL or under its direct supervision, on payment basis by the applicant.
- (x) Violation of any of the conditions will render the allocation of the block/grant of the lease as the case may be liable for cancellation.
- (C) The progress in the end use project and the development of the allocated block should be reported to this Ministry every 3 months from date of issuance of this letter.
- (D) The company may approach CIL for more detailed information, geological report etc. and contact the State Government authorities concerned for completing the necessary formalities for attaining mining lease rights and related matters. The company will be required to apply for mining lease within a period of six months. The arrangement of transport of coal, if any, etc. will have to be worked out by the company in consultation with the Ministry of railways/ Ministry of surface Transport depending on the mode of transport.
- (E) इन शर्तों के अतिरिक्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डालटेनगंज, उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक 3268 दिनांक 14.12.2004 द्वारा निम्नांकित निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा :-
- (i) कम्पनी (आवेदक) से लिखित रूप में Undertaking ले लिया जाय कि निकटवर्ती वनों के अंदर खनन कार्य किया गया तो पट्टा रद्द कर दिया जाएगा।

- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में पुनः अपने स्तर से जाँच कर लिया जाय कि आवेदित भूमि में से कोई भी प्लॉट जंगल-झाड़ी की श्रेणी में तो नहीं है।
- (iii) कम्पनी (आवेदक) खनन पट्टा क्षेत्र से कोयला खनिज के परिवहन के क्रम में वन पथ का उपयोग नहीं करेंगे।
- (iv) कम्पनी (आवेदक) खनन कार्य में लगे मजदूरों के व्यवहार हेतु जलावन आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करेंगे।
- (v) खनन पट्टा की स्वीकृति की सूचना अथवा स्वीकृति पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) खनन पट्टा की स्वीकृति के पश्चात् पट्टा क्षेत्र का सीमांकन, पक्का, पीलर से सुनिश्चित कराना चाहेंगे।

7 निष्पादित एवं निबंधित खनन पट्टा की तीन प्रतियाँ इस विभाग को शिघ्र भेजें।
8 क्षेत्र का नक्शा एवं भूमि सूची लौटाया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 523/6 दि 7/3/07

प्रतिलिपि: डायरेक्टर जेनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी, धनवाद/कंट्रोलर जेनरल, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपुर / उप निदेशक, खान, पलामू/मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/जिला खनन पदाधिकारी, पलामू/सर्वश्री उषा मार्टिन लि0, माइन्स एण्ड गिनरल्स डिविजन, जिमखाना क्लब कम्प्लेक्स, दीपाटोली, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 523/6 दि 7/3/07

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड / निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक- ख0नि0 (विविध)-64 / 2015

/एम0, राँची, दिनांक-

प्रेषक,

आनन्द मोहन ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पलामू।

विषय:-

Nominated Authority, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कठौतिया कोल ब्लॉक के बावत निर्गत **Vesting Order no. 104/3/2015/NA**, दिनांक-23.03.2015 के आलोक में पलामू जिला के पण्डवा अंचलान्तर्गत मौजा-कजरी, कठौतिया, पाल्हे खुर्द, गाड़ीखास, बटसारा, सिक्का एवं सखुई के 687.93 हे0 क्षेत्र पर M/s Hindalco Industries Ltd., Regd. Office Century Bhawan, 3rd Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030 का आवेदन पत्र दिनांक-16.4.2015 के आलोक में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-218 / खनन, मेदिनीनगर, दिनांक-24.04.2015.

आदेश:-

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० को पलामू जिला के पण्डवा अंचलान्तर्गत मौजा- कजरी, कठौतिया, पाल्हे खुर्द, गाड़ीखास, बटसारा, सिक्का एवं सखुई में (कठौतिया कोल ब्लॉक) के रकवा-938.27 हे0 क्षेत्र में से 687.93 हे0 क्षेत्र पर कोयले के खनन पट्टा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-13016/63/2004-CA दिनांक-20.05.2005 द्वारा स्वीकृत revised mine plan में वर्णित तथा prior allottee मेसर्स उषा मार्टिन प्रा० लि० को राज्यादेश सं०-ख०नि०पलामू-15/05-523/एम०, राँची दिनांक-07.03.2007 द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा के लिए यथा संशोधित वर्णित शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों पर प्रदान की जाती है :-

(i)

(I) क्षेत्रफल- कठौतिया कोल माईन के 687.93 हे० क्षेत्र पर।

(II) खनिज- कोयला

(III) अवधि- 30 वर्ष के लिए

(IV) स्वामिस्व- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन)

अधिनियम, 1957 की अनुसूची -II के अनुसार तथा इस अनुसूची में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधित दरों के अनुसार देय होगा।

- (V) नियत लगान (डेड रेन्ट) : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची- III में विहित दरों के अनुसार तथा इस अनुसूची में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधित दरों के अनुसार देय होगा।
- (VI) भूतल लगान (सरफेस रेन्ट)- नियमानुसार देय होगा।
- (VII) प्रतिभूति (सेक्युरिटी) - 10000.00 (दस हजार) रू० जिस पर कोई सूद की राशि देय नहीं होगी।
- (VIII) पट्टेधारी को खनन कार्य की निगरानी के लिए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन अभियंता (माईनिंग इंजिनियर) अथवा भूतत्ववेत्ता (जियोलोजिस्ट) की नियुक्ति अनिवार्यतः करनी होगी।
- (IX) पट्टेधारी द्वारा वन क्षेत्र में खनन कार्य करते समय राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
- (X) अन्य शर्तें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के अनुसार होगी।
- (XI) पट्टेधारी उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा खनन कार्य के लिए निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का अर्जन नहीं करेंगे।
- (XII) जहाँ कृषि योग्य भूमि स्थायी रूप से अर्जित नहीं की गई है और खनन कार्य प्राईवेट एरेंजमेंट के द्वारा किया गया है, वहाँ खनन कार्य के सिलसिले में खुदे हुए गड्ढे आदि को उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के इच्छानुसार पट्टेधारी भर देंगे।
- (XIII) पट्टेधारी भूमि अर्जन से अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित कृषकों तथा उनके आश्रितों को उचित निर्धारित मुआवजा तथा नियोजन के लिए उपायुक्त अथवा उनके बदले में अधिकृत अन्य पदाधिकारी के निदेशानुसार प्रबंध करेंगे।
- (XIV) अगर रैयतों की आपत्ति के कारण पट्टेधारी क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे तो वे लगान की माफी के लिए सरकार से न तो दावा करेंगे और न इसके लिए किसी तरह का उनका कोई दावा मान्य होगा।
- (XV) यदि लागू काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पूर्वानुमति से पट्टेधारी को रैयत द्वारा अपनी रैयती जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा संबंधित भूमि पर रैयती अधिकार पट्टेधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, उस स्थिति में रैयत को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रैयत को पट्टेधारी द्वारा देय कय की राशि पर्याप्त है।
- (XVI) भू-अर्जन अधिनियम, 2013 में निहित मार्गदर्शन का अनुसरण कर प्रति एकड़ उत्पन्न होने वाली वार्षिक फसल की मात्रा का

आकलन करते हुए तथा इसके आधार पर रैयतों के देय वार्षिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण संशोधित खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 72 के अनुसार उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

- (XVII) पट्टेधारी खनिकर्म से संबंधित रैयती क्षेत्र के लिए उपर्युक्त उप कंडिका XVI में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गयी वार्षिक क्षतिपूर्ति की राशि का शत प्रतिशत भुगतान संबंधित रैयतों को कर देंगे तथा उसकी पूर्ण सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को देने तथा सत्यापन के पश्चात उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ही उक्त विनिर्दिष्ट रैयती क्षेत्र में खनिकर्म आरंभ करेंगे।
- (XVIII) पट्टेधारी संबंधित रैयत को प्रत्येक पंचांग वर्ष के लिए देय क्षतिपूर्ति राशि का पिछले वर्ष के माह दिसम्बर के 15 तारीख तक भुगतान कर देंगे तथा उपायुक्त को इसकी तुरंत सूचना देंगे।
- (XIX) पट्टा क्षेत्र में सम्मिलित किन्तु खनिकर्म से अधिक रैयती जमीन पर ही कालान्तर में खनिकर्म आरंभ करने का निश्चय पट्टेधारी करते हैं तब वे उपर्युक्त शर्त/प्रक्रिया का पूर्ण रूपेण अनुसरण कर ही खनिकर्म आरंभ करेंगे।
- (XX) यदि पट्टेधारी उपर्युक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो उनका पट्टा परिसमाप्त कर दिया जाएगा।
- (XXI) निर्धारित एवं देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पट्टेधारी राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थानीय शाखा में संबंधित रैयतों के नाम से खोले गए उनके खाते में जमा करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित उपायुक्त तथा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को लिखित रूप से देंगे।
- (XXII) उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जिन्हें खनिज अनुदान नियमावली, 1960 के नियम 72/73 के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी नियुक्त किया गया हो, खनिज पट्टा की समाप्ति/परिसमाप्ति के पश्चात खनिकर्म से भूमि की हुई क्षति और उस पर देय मुआवजा की राशि का अगले एक वर्ष के अंदर निघौरण कर देंगे ताकि उक्त मुआवजे की राशि पट्टेधारी संबंधित रैयत को तथा सरकारी जमीन की स्थिति में सरकार को भुगतान कर सके।
- (XXIII) अधिनियम या नियम के अतिरिक्त किसी अन्य मान्य नियम में उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से किसी भी लगान, स्वामिस्व या शुल्क (खनिज समनुदान नियमावली के नियम-54 के उप नियम-1 के अन्तर्गत देय शुल्क को छोड़कर) या अधिनियम या इन नियमों का या किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा की शर्तों के अन्तर्गत अन्य रकम जो सरकार को देय है, पर सरकार द्वारा भुगतान के लिए निश्चित की गयी तिथि के 60 दिन बीत जाने

के दिन साधारण सूद चार्ज कर सकती है जबतक की बकाया स्वामिस्व, लगान, शुल्क या अन्य रकम का भुगतान नहीं हो जाता है।

(XXIV) फार्म "के" के पार्ट-6 की कंडिका-3 में तत्संबंधी बकाये सूद के साथ शब्दों के स्थान पर 24 प्रतिशत वार्षिक सूद की दर से तत्संबंधी सूद के साथ शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

(XXV) पट्टेधारी को न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948 के अंतर्गत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।

(XXVI) पट्टेधारी को खान अधिनियम, 1952 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों का अनुपालन करना होगा।

(XXVII) फार्म "के" में पार्ट-9 के निम्नलिखित प्रावधान जोड़ दिए जायेंगे।

"यह पट्टा झारखण्ड राज्य के पलामू जिले के मुख्यालय पलामू में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है और पट्टे के अधीन आनेवाले क्षेत्र पट्टे की शर्तों, पट्टे के अधीन वसूली और पट्टेदार व पट्टाकर्ता द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र के पट्टों की शर्तों और पट्टेदार व पट्टाकर्ता के बावत सभी विषय के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद अपील पलामू के सिविल न्यायालय में अथवा याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में दायर की जाएगी उपर नामित न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कोई वाद या अपील दायर नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।"

(XXIX) यदि पट्टेधारी खनन कार्य हेतु वृक्ष काटेंगे या जमीन पर गड्ढे आदि बनायेंगे तो उन्हें पूरे क्षेत्र की भराई करनी होगी और पूरे क्षेत्र पर वृक्ष लगाना होगा।

(XXX) आदिवासी रैयतों के हितों तथा रैयती जमीन से संबंधित मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु संबंधित रैयतों को स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने नाम से खाता खोलना होगा, जिसकी सूचना पट्टेधारी को देनी होगी तथा रैयती जमीन के मुआवजे की राशि नियत समय पर संबंधित रैयतों के खाते में जमाकर पट्टेधारी द्वारा इसकी सूचना उपायुक्त, पलामू को देनी होगी।

(XXXI) सर्वाजनिक स्थल की सुरक्षा की जबाबदेही पट्टेधारी की होगी।

(XXXII) पट्टेधारी को रैयती क्षेत्र में खनन कार्य करने से पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित संबंधित रैयतों का सहमति पत्र उपायुक्त के समक्ष दाखिल करना होगा और उपायुक्त के द्वारा सुनिश्चित किये जाने पर कि संबंधित रैयतों को खनन कार्य किये जाने वाले क्षेत्र के लिए उचित मुआवजा की राशि का भुगतान हो गया है, पट्टेधारी खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(XXXIII) पट्टेधारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित किय जाएगा। खनन कार्य के संबंध

न आवेदन तथा रैयतों के बीच कोई भी समव्यवहार लागू का तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा।

- (XXIV) पट्टेधारी द्वारा कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान/माईन क्लोजर प्लान का अनुपालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित करना होगा।
- (XXXV) पट्टेधारी को स्वीकृत खनिज के अतिरिक्त, पट्टा क्षेत्र में अगर कोई दूसरा खनिज प्राप्त होता है तो 60 दिनों के अन्दर ऐसे नये खनिज के संबंध में राज्य सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे नये खनिज, जो पट्टे में वर्णित नहीं हैं, प्राप्त होने पर पट्टेधारी को ऐसे नए खनिज पर न तो अधिकार होगा और न ही वे तब तक ऐसे नये खनिज का उपयोग /बिक्री कर सकेंगे जबतक इस पट्टे में नये खनिज को सम्मिलित नहीं कर लिया जाता है अथवा अलग से पट्टा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
- (XXXVI) पट्टेधारी द्वारा लोक निर्माण से जुड़े स्थलों यथा रेलवे लाइन, ट्राम वे आदि से कम से कम 50 (पचास) मीटर की दूरी तक कोई खनन कार्य या ऐसी कार्रवाई जिससे उन स्थलों की क्षति की संभावना हो, नहीं किया जाएगा।
- (XXXVII) पट्टेधारी द्वारा अपने खर्च से पट्टा क्षेत्र का पक्का एवं मजबूत सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।
- (XXXVIII) पट्टेधारी द्वारा सार्वजनिक स्थलों तथा धार्मिक स्थल, श्मशान, कब्रगाह आदि में खनन कार्य नहीं किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र में भवन निर्माण या पक्का संरचना खड़ी नहीं की जाएगी।
- (XXXIX) पट्टेधारी द्वारा पिट हेड के नजदीक वे-ब्रीज(weigh-bridge) रखना आवश्यक होगा जिसकी जाँच सरकार द्वारा नामित/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर की जाएगी।
- (XL) पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर स्वीकृत पट्टे को परिसमाप्त कर दिया जाएगा।
- (XLI) खनन पट्टा की परिसमाप्त के छः माह के अन्दर पट्टा क्षेत्र में रक्षित सामग्री, यंत्र आदि नहीं हटाने पर उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
- (XLII) पट्टाधारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण संबंधी अधिनियमों नियमों के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (XLIII) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थल को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थल को सुरक्षित रखने हेतु नियमानुसार सेप्टी पीलर/बेरियर छोड़कर ही कोयला खनिज का उत्खनन आवेदक कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(XLIV) वन प्रमंडल पदाधिकारी, डालटेनगंज, उत्तरी वन प्रमंडल के पत्रांक-3268 दिनांक-14.12.2004 द्वारा निम्नांकित निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा :-

- (क) कम्पनी (आवेदक) से लिखित रूप में Undertaking ले लिया जाय कि निकटवर्ती वनों के अंदर खनन कार्य किया गया तो पट्टा रद्द कर दिया जाएगा।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में पुनः अपने स्तर से जाँच कर लिया जाय कि आवेदित भूमि में से कोई भी प्लॉट जंगल-झाड़ी की श्रेणी में तो नहीं है।
- (ग) कम्पनी (आवेदक) खनन पट्टा क्षेत्र से कोयला खनिज के परिवहन के कम में वन पथ का उपयोग नहीं करेंगे।
- (घ) कम्पनी(आवेदक) खनन कार्य में लगे मजदूरों के व्यवहार हेतु जलावन आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर स्वयं करेंगे।
- (ङ) खनन पट्टा की स्वीकृति की सूचना अथवा स्वीकृति पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (च) खनन पट्टा की स्वीकृति के पश्चात पट्टा क्षेत्र का सीमांकन, पक्का, पीलर से सुनिश्चित करेंगे।

(ii) जिला खनन कार्यालय, लोहरदगा द्वारा दायर निलाम पत्र मुकदमा संख्या नं०-01(RL)06-07,06(RL)10-11,11(RL)01-02, 06(RL) 99-2000 पट्टा क्षेत्र से उत्पादित प्रेषित मैनेडियम का स्वामित्व व सूद की राशि एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमा सं०-01(RL)01-02,10(RL)01-02,11(RL)01-02,01-02 एवं 03(RL) 05-06 में निहित राशि संबंधित माननीय न्यायालय के आदेशानुसार देय होगा। अंकेक्षण आपत्ति संख्या-7.2.10.1(2006-07) SRA 192/2010-11, 146/2011-12, 99/ 2012-13 एवं वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०-33/2011-12 में निहित राशि पट्टेधारी (आवेदक कम्पनी मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि०) द्वारा देय होगा। The state of Jharkhand and others Vs M/s Misrilal Jain & Sons and others etc में अंतिम आदेश के आलोक में कार्रवाई होगी। "

उपरोक्त संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० द्वारा तीन महीने के अंदर बकाये राशि का भुगतान कर देना होगा तथा अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में बकाया राशि को भी खनन पट्टा सविद निष्पादन के पूर्व जिला खनन कार्यालय, लोहरदगा के साथ **reconciled** कर भुगतान कर देना होगा।

(iii) Vesting Order no.104/3/2015/NA दिनांक-23.03.2015 के Clause-1(b) के अनुसार Coal Mines Development & Production Agreement (CMDPA) में उल्लेखित शर्त एवं बंधेज राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले कोयले के खनन पट्टा के शर्तों में सम्मिलित होगा।

- (v) CMDPA के Clause-14 के तहत माईनिंग प्लान में जिन संशोधनों की आवश्यकता है तो माईनिंग प्लान में संशोधन कराने हेतु आवेदक कम्पनी मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० द्वारा Nominated Authority को सूचना ससमय दिया जाएगा। इस संबंध में सूचना जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को भी ससमय दी जाएगी।
- (vi) कठौतिया कोल माईन्स से उत्खनित कोयले की खपत Specified End Use plant (Captive Power Plant of Mahan Aluminium Project for generation of power for captive use, Configuration-6X150MW, total capacity-900MW) situated at Bargawan, Dist.-Singrauli, Madhya Pradesh में ही की जाएगी।
- (vii) पर्यावरणीय स्वीकृति Sponge Iron Plant के क्षमता के अनुरूप 0.8 मिलियन टन वार्षिक कोयले के उत्खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व आवंटी सर्वश्री उषा मार्टिन लि० को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गयी थी अब यह कोल ब्लॉक Power Plant के लिए कर्णाकित है, इसके अनुरूप पर्यावरणीय स्वीकृति में पावर प्लान्ट की क्षमता के अनुरूप कोयले के उत्खनन की क्षमता में परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो तदनुसार आवश्यक संशोधन पर्यावरणीय स्वीकृति में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से ले लेनी होगी।
- (viii) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० को खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम-22(3)(i)(h) के तहत खनन पट्टा संविदा निष्पादन के बाद एवं खनिकर्म करने से पूर्व रैयती भूमि पर रैयतों की सहमति प्राप्त कर लेना होगा।
- (ix) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० द्वारा clause-6.1.2(a) के अनुसार Performance Security जो एक वर्ष में कोल माईन के Peak rated capacity से उत्खनित कोयले की मात्रा पर देय स्वामिस्व के रकम के बराबर होगा, खनन पट्टा संविदा के निष्पादन के पूर्व राज्य सरकार के पास जमा करना होगा। इस जमा राशि पर कोई सूद देय नहीं होगी।
- (x) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० द्वारा Commencement Plan CMDPA के clause-5.1 के अनुसार Commencement Plan ससमय दाखिल करना होगा।
- (xi) राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वे समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार खनन पट्टा संविदा, CMDPA एवं अन्य सूचनाओं में आवश्यक संशोधन करा सकेगी एवं वह संशोधन पट्टा संविदा की शर्तों का स्वतः भाग हो जाएगा।
- (xii) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० को 687.93 हे० क्षेत्र का Land Schedule एवं उसके अनुरूप मानचित्र जिला खनन कार्यालय, पलामू में खनन पट्टा संविदा के निष्पादन हेतु दाखिल करना होगा। इस क्षेत्र में जंगल झाड़ी किस्म की भूमि सन्निहित तो नहीं है, इससे आवेदक कम्पनी को आश्वस्त होते हुए संबंधित सक्षम पदाधिकारी से आवश्यक स्वीकृति लेना होगा।
- (xiii) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० को District Mineral Foundation Trust में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि को जमा करना होगा।

(xiii) आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० के नाम से सभी वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र का हस्तान्तरण होने के पश्चात राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त, पलामू द्वारा खनन पट्टा संविदा का निष्पादन किया जायेगा।

2. आवेदक कम्पनी, मेसर्स हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि० को डुमरी कोल माईन के बाबत भी Successful bidder घोषित किया गया है। डुमरी कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल 383.00 हे० है। कठौतिया कोल ब्लॉक एवं डुमरी कोल ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल 10 वर्ग कि०मी० से अधिक है ; अतः यदि जब डुमरी कोल ब्लॉक के लीज पर कार्रवाई की जायेगी तो उसके पूर्व खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-8(1)(b) के तहत कोयला मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।
3. निष्पादित एवं निबंधित पट्टे के तीन प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र भेजें।
4. क्षेत्र का नक्शा लौटाया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांक :- ख०नि०(विविध)-64/2015 1558 / एम०, राँची, दिनांक 27-07-15

प्रतिलिपि :- Nominated Authority, कोयला, मंत्रालय, भारत सरकार/डायरेक्टर जेनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी, धनबाद/उप निदेशक, खान, पलामू/सहायक खनन पदाधिकारी, पलामू/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सर्वश्री हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि०, सेन्धूरी भवन, तृतीय तल्ला, डॉ० ऐन्नी बेसंट रोड, वरली मुम्बई-400030 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

45

ANNEXURE-2
304
Series

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P. (C) No.4357 of 2019

With

W.P.(C) no.4358 of 2019

With

W.P.(C) no.4366 of 2019

With

W.P.(C) no.4367 of 2019

With

W.P.(C) no.4368 of 2019

With

W.P.(C) no.4369 of 2019

With

W.P.(C) no.4370 of 2019

1. Rajkumar Saw
2. Saharmania Devi

..... Petitioners.
[In W.P.(C) No.4357/2019]

1. Bihari Saw
2. Meena Devi

..... Petitioners.
[In W.P.(C) No.4358/2019]

1. Krishna Saw
2. Lalita Devi

..... Petitioners.
[In W.P.(C) No.4366/2019]

Naku Saw

..... Petitioner.
[In W.P.(C) No.4367/2019]

1. Balchand Saw @ Bachan Saw
2. Maanmati Devi

..... Petitioners.
[In W.P.(C) No.4368/2019]

Satendra Kr. Saw

..... Petitioner.
[In W.P.(C) No.4369/2019]

Kishun Saw

..... Petitioner.
[In W.P.(C) No.4370/2019]

-Versus-

1. The State of Jharkhand, represented through Chief Secretary, Project Building, Dhurwa, Ranchi.
2. The Director General of Police, Govt. of Jharkhand, Ranchi.
3. The Commissioner, Palamau Division, Medininagar, Palamau.
4. The Deputy Commissioner, Palamau.
5. The Superintendent of Police, Palamau.
6. The Circle Officer, Pandwa, District Palamau.
7. The Officer-in-charge, Pandwa Police Station, Pandwa, District Palamau.
8. The Chairman, HINDALCO Industries Limited, Birla Centurion, 7th Floor, Pandurang, Budhkar Road, Worli, Mumbai.

..... Respondents.
[In All cases]

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE RAJESH SHANKAR

For the Petitioner(s): Mr. R. R. Tiwary, Advocate

For the State : A.C. to Sr. S.C.I

For Respondent no.8: M/s. Indrajit Sinha & V.K. Dubey, Advocates

-2-

Order No.06**Date: 03.03.2020**

The present writ petitions have been taken up together with the consent of the learned counsel for the parties and are being disposed of by this common order.

These writ petitions have been filed for issuance of direction upon the State respondents, particularly, respondent no.4- Deputy Commissioner, Palamau to take legal and appropriate action against the respondent no.8-Chairman, HINDALCO Industries Limited, restraining it from taking illegal possession of their land as well as residential house and excavating and raising coal from the said land without taking recourse of Section 49 of the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908.

The grievance of the petitioners is that the respondent no.8 has been excavating their land without taking mandatory permission from the respondent no.4 and without executing the registered deed of transfer for the said land. All the petitioners are residents of village Kathautia having their house and hearth in the said village and they are the cultivators. The petitioners made applications before the respondent no.4 raising their aforesaid grievance, however, the same have not yet been responded.

Learned counsel for the respondent no.8 submits that the claim of the petitioners made in the present writ petitions is required to be factually determined, however, as per his instruction, the respondent no.8 has been making excavation of mineral in a lawful manner. It is also submitted that the petitioners have raised private disputes against the respondent no.8 and as such the present writ petitions are not maintainable.

Having heard learned counsel for the parties and keeping in view the nature of the prayer made in the present writ petitions, without entering into the merit of these cases, the writ petitions are disposed of, giving liberty to the petitioners to file fresh representation(s) before the respondent no.4 on the present issue. On receipt of the said representation, the respondent no.4, after

-3-

providing due opportunity of hearing to the petitioners/their representatives as well as the representative of respondent no.8 and on making due enquiry (if so required), shall take appropriate informed decision preferably within a period of four months from the date of receipt of the representation(s).

Sanjay/

(Rajesh Shankar, J.)

**IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI**

W.P.(C) No. 1326 of 2019
With
W.P.(C) No. 1341 of 2019
With
W.P.(C) No. 1343 of 2019
With
W.P.(C) No. 1345 of 2019
With
W.P.(C) No. 1346 of 2019
With
W.P.(C) No. 1349 of 2019
With
W.P.(C) No. 1352 of 2019
With
W.P.(C) No. 2355 of 2019
With
W.P.(C) No. 2360 of 2019
With
W.P.(C) No. 2386 of 2019
With
W.P.(C) No. 2388 of 2019
With
W.P.(C) No. 2367 of 2019
With
W.P.(C) No. 2390 of 2019
With
W.P.(C) No. 2361 of 2019
With
W.P.(C) No. 2437 of 2019
With
W.P.(C) No. 2441 of 2019
With
W.P.(C) No. 2461 of 2019
With
W.P.(C) No. 4424 of 2019
With
W.P.(C) No. 168 of 2020
With
W.P.(C) No. 169 of 2020
With
W.P.(C) No. 179 of 2020
With
W.P.(C) No. 170 of 2020

Ramjit Saw Petitioner
[In W.P.(C) No. 1326 of 2019]

1. Chandan Saw
2. Vinay Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 1341 of 2019]



1. Shiv Balik Saw
2. Lalo Devi Petitioners
[In W.P.(C) No. 1343 of 2019]

1. Sudama Saw
2. Lalmuni Saw
3. Akhilesh Saw
4. Santosh Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 1345 of 2019]

1. Antu Saw
2. Phulpati Devi Petitioners
[In W.P.(C) No. 1346 of 2019]

1. Ramchandra Saw
2. Rajkumar Saw
3. Shiv Kumar Prasad Petitioners
[In W.P.(C) No. 1349 of 2019]

1. Ajay Saw
2. Uday Saw
3. Ganauri Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 1352 of 2019]

Basnati Kunwar @ Basanti Devi Petitioner
[In W.P.(C) No. 2355 of 2019]

1. Jaypal Sao
2. Nepal Sao
3. Gopal Sao Petitioners
[In W.P.(C) No. 2360 of 2019]

1. Vijay Mal Saw
2. Virendra Saw
3. Phulpato Kunwar Petitioners
[In W.P.(C) No. 2386 of 2019]

1. Awadh Saw
2. Pradip Saw
3. Ashok Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 2388 of 2019]

1. Sanjay Saw
2. Anil Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 2367 of 2019]

1. Gariba Saw
2. Srikant Saw
3. Ramayan Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 2390 of 2019]

1. Sambhu Saw
2. Dhananjay Kumar Saw
3. Saanmati Kunwar Petitioners
[In W.P.(C) No. 2361 of 2019]

1. Shravan Saw
2. Upendra Saw
3. Anti Kuwar Petitioners
[In W.P.(C) No. 2437 of 2019]

Virmani Saw Petitioner
[In W.P.(C) No. 2441 of 2019]

1. Badeshwar Saw
2. Manu Saw
3. Ramkesh Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 2461 of 2019]

1. Dasrath Saw
2. Binod Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 4424 of 2019]

1. Shivnath Saw
2. Sitaram Saw
3. Baijnath Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 168 of 2020]

1. Devdutt Saw
2. Bhikhari Saw
3. Dasrath Saw
4. Devbali Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 169 of 2020]

Suraj Mal Saw Petitioner
[In W.P.(C) No. 179 of 2020]

1. Maldev Saw
2. Rajendra Saw Petitioners
[In W.P.(C) No. 170 of 2020]

Versus

1. The State of Jharkhand, through the Chief Secretary, Ranchi
2. The Director General of Police, Government of Jharkhand, Ranchi
3. The Commissioner, Palamau Division, Palamau
4. The Deputy Commissioner, Palamau
5. The Superintendent of Police, Palamau
6. The Circle Officer, Pandwa, Palamau
7. The Officer In-charge, Pandwa Police Station, Palamau
8. The Chairman, HINDALCO Industries Limited, Mumbai Respondents

CORAM**HON'BLE MR. JUSTICE RAJESH SHANKAR**

For the Petitioners: Mr. R. R. Tiwary
For the State: Mr. Sanjeev Thakur, S.C (L&C)-I
For Respondent No.8: Mr. Indrajit Sinha

05/05.03.2020 The present writ petitions have been taken up together with the consent of the learned counsel for the parties and are being disposed of by this common order.

These writ petitions have been filed for issuance of direction upon the State respondents, particularly, respondent No.4-Deputy Commissioner, Palamau to take legal and appropriate action against the respondent No.8-the Chairman, HINDALCO Industries Limited, Mumbai restraining it from taking illegal possession of their land as well as residential house and excavating and raising coal from the said land without taking recourse of Section 49 of the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908.

The grievance of the petitioners is that the respondent No.8 has been excavating their land without taking mandatory permission from the respondent No.4 and without executing the registered deed of transfer for the said land. All the petitioners are residents of Village-Kauthia having their house and hearth in the said village and they are the cultivators. The petitioners made applications before the respondent No.4 raising their aforesaid grievance, however, the same have not yet been responded.

Learned counsel for the respondent No.8 submits that the claim of the petitioners made in the present writ petitions is required to be factually determined, however, as per his instruction, the respondent No.8 has been making excavation of mineral in a lawful manner. It is also submitted that the petitioners have raised private disputes against the respondent No.8 and as such the present writ petitions are not maintainable.

Having heard learned counsel for the parties and keeping in view the nature of the prayer made in the present writ petitions, without entering into the merit of these cases, these writ petitions are disposed of giving liberty to the petitioners to file fresh representation(s) before the respondent No.4 on the present issue. On receipt of such representation(s), the respondent No.4, after providing due opportunity of hearing to the petitioners/their representatives as well as the representative of the respondent No.8 and on making due enquiry (if so required), shall take appropriate informed decision preferably within a period of four months from the date of receipt of the said representation(s).

Satish/-

(RAJESH SHANKAR, J)

53

ANNEXURE-312

Photographic Evidence dated 07.02.2026











पलामू में बंद माइंस में फंसा युवक



**बंद खदान कैसे बन रहा है
झारखंड में मौत का कुआं !**

पलामू में बंद माइंस में फंसा युवक



**बंद खदान कैसे बन रहा है
झारखंड में मौत का कुआं !**

Home / News / Live Palamu News / बंद खदान बनी मौत का कुंआ, जिम्मेदार कौन?



बंद खदान बनी मौत का कुंआ, जिम्मेदार कौन?



Live Palamu N... 1 month ago

पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़े कठौतिया कोल माइंस में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक युवक शुक्रवार की सुबह गहरे पानी से भरे खदान में गिर गया और डूबने लगा। स्थानीय लोगों की सूझबूझ, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच सकी। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 30 से 40 फीट गहरे पानी से भरे इस खदान में अगर समय पर रेस्क्यू नहीं होता, तो एक और जान चली जाती। पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर पड़वा थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन की तत्परता सराहनीय रही, लेकिन सवाल

यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों?

ADVERTISEMENT

कोल इंडिया एक्ट के तहत किसी भी कंपनी को खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदान को भरना या उसकी समुचित फेंसिंग करना अनिवार्य है, ताकि कोई व्यक्ति, पशु या अन्य जीव उसमें गिरकर हादसे का शिकार न हो। लेकिन कठौतिया कोल माइंस में न तो गड्ढा भरा गया और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। खुलेआम मौत का यह गड्ढा ग्रामीणों के लिए खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, हिंडाल्को इस कोल माइंस को सरेंडर करने की प्रक्रिया में है।


लेकिन बिना सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए खदान को यूं ही छोड़ देना क्या नियमों का खुला उल्लंघन नहीं है? यदि भविष्य में कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मजदूर नेता गौरव सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए एनजीटी समेत संबंधित विभागों को पत्र भेज चुके हैं। उनका आरोप है कि कंपनी ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है।

बिना फेंसिंग और बिना खदान भराई के माइंस सरेंडर नहीं किया जा सकता। यह घटना सिर्फ एक युवक के बच जाने की कहानी नहीं, बल्कि खनन कंपनियों की लापरवाही और प्रशासनिक निगरानी पर बड़ा सवाल है। अब जरूरत है कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मौत के कुंए को सुरक्षित कराएं, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी न हो।

6x3

322

ADVERTISEMENT




Live Palamu News

48k followers • 6k Stories

Dailyhunt

Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Live Palamu News

ADVERTISEMENT





in:sent



Gaurav Singh v. Hindalco - OA 5 of 2026 NGT EZB- Copy of Rejoinder Inbox x



Jeet Sinha <jeetsinha018@gmail.com>

to hiiinvestors, secy-moef, secretarymines,jhr@gmail.com, dc-pal, dmo-palamu, madhurimittal, AshishPrasad, MuktaDutta, atriroychowdhury, clerks, Gaurav

Dear Sir/ Ma'am,

Please find attached a copy of the rejoinder filed on behalf of the applicant, in response to the reply submitted by Respondent No. 1.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Best regards,
Jeet Sinha,
Advocate for Applicant

One attachment • Scanned by Gmail Add to Drive



- Reply
- Reply all
- Forward
-